भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 419

दिनांक 22.07.2025 को उत्तरार्थ

'स्वामित्व' योजना

419. श्री विप्लव कुमार देवः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः
श्रीमती हिमाद्री सिंहः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री अरुण गोविलः
श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्री विद्युत बरन महतोः
श्री आलोक शर्माः
श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमाः
श्री प्रवीण पटेलः
श्री अनुराग शर्माः
श्री पी. पी. चौधरीः
श्री दिलीप शइकीया:
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्रीमती स्मिता उदय बाघ:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'स्वामित्व' योजना (ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण) से बिगत पांच वर्षों में ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व और आर्थिक स्थिति में किस प्रकार का परिवर्तन आया है;

(ख) उन कतिपय योजनाओं के नाम और ब्यौरा क्या है जहां अवसंरचना या कल्याण योजना के लिए जमीनी स्तर पर मूलभूत जानकारी प्रदान करने के लिए स्वामित्व व डेटा का उपयोग प्रभावी ढंग से किया गया है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत जारी किए गए संपत्ति काडों की संख्या राजस्थान सहित राज्य-वार कितनी है;

(घ) क्या स्वामित्व डेटा का उपयोग गांव स्तर पर अवसंरचना अथवा कल्याण योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रभावी ढंग से किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे उपयोग के मामलों का ब्यौरा क्या है और स्वामित्व योजना के अंतर्गत शामिल किए गए गांवों की विशेषकर राजस्थान, त्रिपुरा और महाराष्ट्र राज्यों और जलगांव निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य-वार संख्या क्या है;

(च) क्या सरकार 'स्वामित्व' योजना के दायरे को और बढ़ाने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(छ) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या क्या है और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा उत्तर पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आज तक अनुमोदित किए गए स्वामित्व संपत्ति काडों की संख्या क्या है;

(ज) क्या सरकार ने 'स्वामित्व' योजना के कार्यान्वयन के कारण ऋण, संपत्ति से संबंधित दस्तावेज़ीकरण या स्थानीय शासन परिणामों में किसी मापन योग्य सुधार को रिकॉर्ड किया है; और

(झ) क्या सरकार एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के लिए स्वामित्व-सृजित डेटा के उपयोग को बढ़ाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा और समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) जी हाँ, पिछले पाँच वर्षों में स्वामित्व योजना ने ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व और आर्थिक स्थिति में व्यापक रूप से बदलाव किया है। जिसका विवरण इस प्रकार हैं:

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्रामीण संपत्ति रखने वाले मालिकों को अधिकारों का अभिलेख/रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभागों, राज्य पंचायती राज विभागों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगात्मक प्रयास से नवीनतम ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि का सीमांकन करना है। इस योजना के कई उद्देश्य हैं - संपत्ति कार्ड पर बैंक से ऋण लेना , संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना और व्यापक रूप से ग्रामीण स्तर पर योजना तैयार करना। **17** जुलाई **2025** तक, **3.23** लाख गाँवों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है, और **1.69** लाख गाँवों के लिए **2.56** करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, केरल और लद्दाख में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है। यह योजना हरियाणा, उत्तराखंड, पुद्दुचेरी, गोवा, त्रिपुरा, दादरा नगर हवेली, दमन, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में संपूर्ण की गई है।

(ख) स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के 1:500 पैमाने के मानचित्र तैयार किए गए हैं। ये मानचित्र पंचायती राज मंत्रालय के ग्राम मानचित्र ऐप पर उपलब्ध हैं और पंचायतों द्वारा परिसंपत्तियों के

नियोजन और निगरानी में उपयोग किए जाते हैं। महाराष्ट्र राज्य में, स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति रजिस्टरों को अद्यतन करने में भी मदद मिली है, जिससे संपत्ति कर का सटीक आकलन और विनियोजन संभव हुआ है।

(ग) स्वामित्व योजना के तहत, 1.69 लाख गाँवों में 2.56 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। राजस्थान में, 14 हज़ार गाँवों में 11.2 लाख संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं, इसका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न हैं।

(घ) और (ङ) जी, हाँ; स्वामित्व डेटा का उपयोग ग्रामीण स्तर पर बुनियादी ढाँचे या जन कल्याण संबंधी योजनाओं के आयोजन में प्रभावी ढंग से किया गया है। त्रिपुरा में 893 गांवों में 5.71 लाख संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं और महाराष्ट्र में 17 हजार गांवों के लिए 28.3 लाख संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं और जलगांव में 497 गांवों में 1.04 लाख संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।

ग्राम मानचित्र , पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित एक भू-स्थानिक एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए प्रभावी नियोजन, निगरानी और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। इस एप्लीकेशन में कुछ भू-स्थानिक उपकरण शामिल हैं जैसे निकटता विश्लेषण, परिसंपत्ति नियोजन उपकरण, स्ट्रीट लाइट अनुमान उपकरण, वाहन मार्ग संभावना उपकरण, सौर ऊर्जा क्षमता आकलन उपकरण और ग्राम मानचित्र में विकसित संपत्ति कर कैलकुलेटर उपकरण जो स्वामित्व डेटा का उपयोग करते हैं, जिनके उपयोग के मामले नीचे दिए गए हैं:

1. निकटता विश्लेषण उपकरण: निकटता (बफर) विश्लेषण का उपयोग आरएलबी में किसी भी परिसंपत्ति के नई लोकेशन की योजना बनाने हेतु निर्णय लेने में किया जा सकता है।

2. परिसंपत्ति नियोजन उपकरण: ग्रामीण स्थानीय निकायों में प्रस्तावित सड़कों के लिए सड़क निर्माण लागत का अनुमान लगाया जा सकता है।

3. स्ट्रीट लाइट अनुमान उपकरण: स्वामित्व मानचित्रों का उपयोग करके स्ट्रीट लाइटों का अनुमान और पर्याप्तता का अनुमान लगाया जा सकता है।

4. वाहन मार्ग संभावना उपकरण: आपात स्थिति में प्रतिक्रिया समय को कम करने के लिए सड़कों पर वाहन की नौगम्यता का आकलन करना ।

5. सौर ऊर्जा क्षमता मूल्यांकन उपकरण: संपत्ति के टुकड़ों की छतों के प्रकार और क्षेत्रफल के आधार पर, घरों की सौर ऊर्जा क्षमता का आकलन किया जा सकता है।

6. संपत्ति कर कैलकुलेटर उपकरण: ग्रामीण स्थानीय निकायों को अपने राजस्व के स्रोत (OSR) का अनुमान लगाने में मदद करता है।

(च) वर्तमान में स्वामित्व योजना का दायरा 31 मार्च 2026 से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) स्वामित्व योजना के तहत, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पाँच जिलों के 31 गाँवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। हालाँकि, उत्तर-पश्चिम लोकसभा संसदीय क्षेत्र सहित, अभी तक कोई भी संपत्ति कार्ड तैयार नहीं किया गया है।

(ज) जी, हाँ, स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन से उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसने ग्रामीण संपत्ति मालिकों के लिए ऋण की पहुच को सुगम बनाया है, जो अब स्वामित्व के प्रमाण के रूप में संपत्ति कार्ड का उपयोग करके बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सक्षम हैं। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा 15 मई 2025 को जारी पत्र के अनुसार, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वामित्व संपत्ति कार्डों पर 1307 करोड़ रुपये के बैंक ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

(झ) स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों की सभी उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली ड्रोन से ली गई तस्वीरों को मंत्रालय के ग्राम मानचित्र एप्लिकेशन के साथ एकीकृत किया जा रहा है। ये डिजिटल तस्वीरें ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्णय सहायता प्रणाली प्रदान करती हैं। मंत्रालय द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास और नियोजन के लिए स्वामित्व से उत्पन्न डेटा के प्रभावी उपयोग हेतु ग्राम मानचित्र एप्लिकेशन के उपयोग में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायत प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए एक कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है।

अनुलग्नक I

स्वामित्व योजना' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 419जिसका उत्तर दिनांक 22.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

स्वामित्व योजना की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अधिसूचित गाँव	ड्रोन उड़ान वाले गाँव	उन गांवों की संख्या जिनके लिए संपत्ति कार्ड तैयार किए गए	तैयार किए गए प्रॉपर्टी कार्डों की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	186	186	141	7409
2	आंध्र प्रदेश	13321	13321	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	5596	3630	0	0
4	असम	1074	946	0	0
5	छत्तीसगढ़	15791	15791	1785	103909
6	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	80	80	75	4397
7	दिल्ली	31	31	0	0
8	गोवा	410	410	410	672646
9	गुजरात	15052	14199	8882	1453879
10	हरियाणा	6260	6260	6260	2515646
11	हिमाचल प्रदेश	15196	13920	364	5395
12	जम्मू और कश्मीर	4431	4404	1294	39204
13	झारखंड	757	240	0	0
14	कर्नाटक	30757	20814	3966	1019105
15	केरल	597	597	0	0
16	लद्दाख	232	232	225	15623
17	लक्षद्वीप द्वीप समूह	10	10	10	13563
18	मध्य प्रदेश	43014	43014	36998	4610793
19	महाराष्ट्र	37819	37609	17961	2839776
20	मणिपुर	2555	209	0	0
21	मिजोरम	550	433	27	2909
22	ओडिशा	3054	2724	43	3112

23	पुदुचेरी	96	96	92	2801
24	पंजाब	12083	10458	178	24089
25	राजस्थान	36,300	35929	14,364	1123948
26	सिक्किम	1	1	0	0
27	तमिलनाडु	3	3	0	0
28	तेलंगाना	5	5	0	0
29	त्रिपुरा	898	19	893	571783
30	उत्तर प्रदेश	90573	90573	67987	10373787
31	उत्तराखंड	7441	7441	7441	278229
	कुल	**344,173**	**323585**	**169396**	**25682003**
